समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश शाखा भोपाल म0प्र0

निगरानी -3633/2018/रायसेन/भू.रा. प्रकरण कं.....

1. सावित्री बाई पत्नि राजाराम
   आयु लगभग 60 वर्ष
2. चेचिया बाई पत्नि रतनलाल
   आयु लगभग 58 वर्ष
3. रूकमणी बाई पत्नि घासीराम
   आयु लगभग 50 वर्ष
4. रामवती बाई पत्नि नवल सिंह
   आयु लगभग 49 वर्ष
   सभी निवासीगण–ग्राम जोंदरा
   तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ----- आवेदकगण

विरूद्ध

1. रमेश आत्मज विजयराम
   आयु लगभग 55 वर्ष
   निवासी–पिपलानी भोपाल म.प्र.
2. म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर
   जिला रायसेन म0प्र0
3. अपर कमिश्नर महोदय,
   भोपाल संभाग भोपाल ----- प्रतिप्रार्थीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता

उपरोक्त आवेदकगण निम्नानुसार यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैः–

पुनरीक्षण प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि अपर तहसीलदार औबेदुल्लागंज द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण किया गया। जिसके विरूद्ध प्रतिअपीलार्थी द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज ने प्रतिअपीलार्थीगण की अपील को अस्वीकार करते हुये प्रकरण को अपर तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया।

2. यह कि अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज द्वारा पारित आदेश 14.09.2009 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थीगण ने एक अपील माननीय अधिनस्थ न्यायालय अपर कमिश्नर महोदय भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष इस अपील में माननीय अपर कमिश्नर महोदय ने अधिनस्थ न्यायालयों के आदेशों पर वैधानिक दृष्टि से विचार नहीं करते हुये त्रुटिपूर्ण प्रकिया अपनाते हुये आदेश दिनांक 07.02.18 पारित करते हुये आवेदकगण की अपील को खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध एंव दुखित होकर आवेदकगण यह पुनरीक्षण याचिका इस माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों पर प्रस्तुत करते है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3633/2018/रायसेन/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-10-18	आवेदक अनुपस्थित । प्रकरण का ग्राह्यता के बिन्दु पर अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-2-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण तहसील न्यायालय को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं म0प्र0भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये है जिसे स्थिर रखा जाकर अपील अस्वीकार करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	